ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5973/2003/भीलवाड़ा** **श्रीनारायण बनाम मांगू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री मदनलाल गुर्जर एवं श्री शिवप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

——

निर्णय

दिनांकः— 07.10.2024

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 44/1992 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 मांगू ने न्यायालय सहायक जिलाधीश, मुख्यालय भीलवाड़ा के समक्ष एक वाद वाकै ग्राम छतरीखेड़ा में स्थित वादग्रस्त आराजी के बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। दौराने कार्यवाही उक्त दावा दिनांक 07.07.1993 को खारिज कर दिया गया, जिसे दिनांक 06.05.1997 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दौराने वाद प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 ए जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावे में प्रतिवादी संख्या 2 गंभीर पुत्र हजारी फौत हो चुका है अतः वादी को निर्देशित किया जावें कि वह उसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत करें। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी ने पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2002 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने मृतक गंभीर के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः दावा निरस्त किया जावें। तत्पश्चात् वादी अप्रार्थी मांगू की ओर से दिनांक 17.01.2003 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत कर कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.09.2003 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल

ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5973/2003/भीलवाड़ा** **श्रीनारायण बनाम मांगू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष पेश की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने दिनांक 29.01.2001 को आदेश 22 नियम 10 ए सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय एवं वादी/अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 गंभीर पुत्र हजारी गुर्जर का देहांत हो गया है। उसके बाद पुनः प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2002 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी/अप्रार्थी संख्या 1 मांगू ने मृतक गंभीर की कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। अतः लंबे अंतराल समयावधि समाप्त हो जाने से वाद एबेट फरमाया जावे। तत्पश्चात् दिनांक 17.01.2003 को बिना शुल्क अदा किए एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रसतुत किया जिसके तहत न तो एबेटमेंट सेटसाइट की इस्तदुआ चाही और ना ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर रूपए 100/– की कोस्ट पर स्वीकार किए जाने में त्रुटि कारित की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जैसे ही पक्षकार की मृत्यु होती है और समयावधि गुजर जाती है दावा ऐसे बिना न्यायिक आदेश के उपशामित हो जाता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है जो निगरानी के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2003 को खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2000 डीएनजे पार्ट द्वितीय पेज 479 राज0 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। विवादित आराजियात में अप्रार्थी/वादी के हक व अधिकार निहित है	

ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5973/2003/भीलवाड़ा** **श्रीनारायण बनाम मांगू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसका निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण पर ही किया जाना न्यायोचित एवं उचित है । केवल मात्र तकनीकी आधार पर वाद को निर्णित कर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः निगरानी खारिज की जावे । हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 मांगू ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के समक्ष प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पेश किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी ने विपक्षी संख्या 2 के फौत होने का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2001 को पेश किया । इसके पश्चात् प्रतिवादी ने पुनः दिनाक 17.01.2002 को प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया वादी ने आदिनांक तक प्रतिवादी गम्भीर के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की है अतः वाद अबेट हो जाने से निरस्त फरमाया जावे । इसके उपरांत दिनांक 17.01.2003 को वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादी ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है और अकालग्रस्त समय होने के कारण मजदूरी करने हेतु बाहर चला गया था और अपने अधिवक्ता से न तो संपर्क कर सका और ना ही उक्त जानकारी दे सका । अभी हाल में ही वादी वापस आया और मामले की कार्यवाही हेतु अधिवक्ता से संपर्क किया और उक्त प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी दी और आज बिना विलंब यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा हूं । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अप्रार्थी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92 क व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया है। विवादित आराजियात में वादी को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्धारण उभयपक्ष से साक्ष्य सबूत लेकर गुणावगुण पर ही किया जा सकता है ना कि तकनीकी आधार पर । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये ना कि तकनीकी आधार पर । इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।	

ृतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5973/2003/भीलवाड़ा** **श्रीनारायण बनाम मांगू व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनाक 19–09–2003 यथावत् रखा जाता है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	